रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3। नई दिल्ली, शनिवार

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2013 (पौष 29, 1934)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19-JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

| सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] | Miscellancous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by | Statutory Bodies

> भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

मं. गेबैपवि(नीप्र)252/सीजीएम(यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि दंश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, सभी कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जक, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शिक्तयों और इस संबंध में प्राप्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है।--

निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक (नाम) तथा उसे प्रयोग में लाना

- इन निदेशों को कोर निवेश कंपनी-विदेशी निवेश (रिज़र्व बैंक)
 निदेश, 2012 कहा जाएगा।
- ii. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

- गां यह निदेश विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित निदेशों के अतिरिक्त होगा।
- 2. सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति
 - यह निदेश सभी सीआईसी' (भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत अथवा पंजीकरण से छूट प्राप्त किसी भी स्थिति में) पर लागू होंगे, जो विदेशी निवेश की इच्छा रखती है।
 - ii विदेशी वित्तीय² क्षेत्र में निवेश:

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) धारण तथा पंजीकृत सीआईसी पर लागू सभी विनियमों का पालन करना होगा। अतः सीआईसी जिन्हें बैंक के विनियमन संरचना से छूट प्राप्त हैं (छूट प्राप्त सीआईसी) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा वे सीआईसी-एनडी-एसआई की तरह विनियमित होंगी।

iii. गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश :

मंआईसी, 05 जनवरी 2011 के परिपत्र गैबँपवि(नीप्र)कंपरि सं. 206/03.10.001/2010.11 के पैरा 2(बी) परिभाषित के अनुसार जिसका शीर्षक है कोर निवेश कंपनियों के लिए त्रिनियामक संस्था।

[ं]इस उद्देशय के लिए त्रितीय क्षेत्र अर्थात् वह क्षेत्र/सेवाएं जो वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है।

No. 14-42/2011(CPP-II)—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations' namely:—

1. Short Title, Application and Commencement:

- These Regulations shall be called the University Grants Commission (Mandatory Assessment and Accreditation of higher Educational Institutions), Regulations, 2012.
- 1.2 These regulations shall apply to:
 - (a) all universities established and / or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act;
 - (b) all institutions, other than technical institutions, declared by notification under Section 3 of the University Grants Commission Act to be deemed to be universities;
 - (c) all colleges, other than technical institutions, including autonomous colleges.
- These Regulations shall come into force form the date of notification in the Official Gazette.

2. Definitions:

- 'Accreditation', with its grammatical variations, means the process of quality control in higher education, whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific method followed by Accreditation Agencies, a Higher Educational Institution or any programme conducted therein recognized as conforming to parameters of academic quality and benchmarking of such academic quality determined by the University Grants Commission.
- b) 'Act' means the University Grants Commission Act, 1956

- c) 'Assessment' means the process involved in ascertaining or verifying the capabilities of a Higher Educational Institution in terms of its physical infrastructure and human resources prior to the commencement of its academic programmes.
- d) 'Assessment and Accreditation Agency' means an agency such as National Assessment and Accreditation Council already recognized by University Grants Commission, National Board of Accreditation and National Accreditation Board, or an Agency established by or under an Act of Parliament to carry out accreditation.
- e) 'College' means a college as defined under section 12 A (1) (b) of the University Grants Commission Act, 1956.
- f) 'Commission' means the University Grants Commission as defined in the Act.
- g) 'Higher Educational Institution' means a university as defined in subsection (f) of Section 2 of the Act, and includes, an institution declared by notification under the Act as an institution deemed to be university under Section 3 of the Act and colleges as defined above in clause (e), other than a Technical institution.
- h) "Technical Institution" means an institution as defined under clause (h) of section 2 of the All India council for Technical Education Act, 1987 but excluding Technical Universities and Universities offering technical programmes;

3. Objectives:

The process of assessment and accreditation shall have the following objectives:

- a) to accord recognition to the quality and excellence of education imparted by Higher Educational Institutions, and thereby to advance academic quality;
- b) to enable students and other stakeholders to make informed choices with regard to Higher Educational Institutions;
- c) To enable students, teachers and other stakeholders to provide inputs concerning the quality of education imparted by the Higher Educational Institutions;

- d) to facilitate Higher Educational Institutions to augment quality, by benchmarking uniform reference points pertaining to academic standards;
- e) to facilitate Higher Educational Institutions to secure additional funding and other incentives, if found eligible, from appropriate regulatory and or funding agencies;
- to facilitate Higher Educational Institutions to acquire international recognition, cross-border and trans-national collaborations;
- to facilitate students achieve learning outcomes appropriate to their course and relevant to their context, as shall be declared by Higher Educational Institutions;
- to facilitate students entitlements, as prescribed by the Commission or declared by the Higher Educational Institution, as the case may be, to be met by Higher Educational Institutions.
- to facilitate teachers achieve and maintain teaching and research standards as shall be declared by Higher Educational Institutions,
- to facilitate effective teaching-learning and access to quality teaching-learning material in all the languages permitted by the Higher Educational Institution as medium of instruction or examination; and
- k) to facilitate Higher Educational Institution achieve effective governance mechanisms in their management and administration.

4. Mandatory Assessment and Accreditation

- It shall be mandatory for each Higher Educational Institution to get accredited by the Accreditation Agency after passing out of two batches or six years, whichever is earlier, in accordance with the norms and methodology prescribed by such agency or the Commission, as the case may be.
- Every Higher Educational Institution, which has completed six years of existence or two batches having passed out, whichever is earlier, shall apply within six months from the date of coming into force of these regulations, to the Accreditation Agency, for accreditation.
- The Higher Educational Institutions, which have not completed six years of existence or two batches having passed out, whichever is earlier, shall, within a period of six months from date of such completion, apply to the Accreditation Agency for accreditation.

- Every Higher Educational Institution, intending to commence academic operations after coming into force of these regulations, shall apply for assessment and accreditation to the Assessment and Accreditation Agency, as per Clause 4.1 above.
- 5 Period of Validity and Reaccreditation
- 5.1 The accreditation will be valid for a period of five years
- 5.2. It shall be mandatory for each accredited Higher Educational Institution to apply for Reaccreditation six months before the expiry of the five year period in accordance with the norms and procedures prescribed by the relevant Accreditation Agency.
- Duties and Obligations of Assessment and Accreditation Agency

 The Assessment and Accreditating Agency shall:
- ensure complete transparency in its operations and strictly abide by a code of ethics.
- 6.2 provide an opportunity to all stakeholders in the Higher Educational Institution including students, teachers and non-teaching employees, to submit their views on matters of academic quality.
- provide an opportunity to all stakeholders in the Higher Educational Institution including students, and non-teaching employees, to file suggestions or objections, if any, on the Self Study Report (SSR) prepared by the Higher Educational Institution for submission to the Accreditation Agency, which shall be taken note of by the Assessment and Accreditation Agency while finalizing the accreditation.
- publish on its website the final accreditation together with all documents based on which-such accreditation was given to the Higher Educational Institution.
- complete the accreditation process / take a final decision on the accreditation application within six months of receipt of application form the Higher Educational institution.
- take a decision on application, submitted within 90 days of grant of accreditation, for withdrawal/ modification of accreditation, against which any person or body is aggrieved, within 90 days of receiving the application:

7. Assessment and Accreditation as Pre-requisites.

- No Higher Educational Institution or its Faculties, Schools, Departments, Centres or any other units therein, by whatever name called, shall be eligible for applying or receiving financial assistance from Commission under any of its schemes without having undergone assessment and accreditation within stipulated period as defined in Clause 4.1 above.
- No institution, other than those under de novo category, shall be eligible to apply or be considered for being declared as an institution deemed to be university under section 3 of the Act, without having undergone assessment and accreditation as laid down by the Commission.
- No university shall be notified or recognized under Section 12B of the UGC Act, if not duly accredited as per Clause 4.1 above, after coming into force of these regulations.
- No college shall be notified of recognized under Section 2 (f) of UGC Act, if not duly accredited as per Clause 4.1 above, after coming into force of these regulations.

8. Incentives

The Commission shall allocate any higher level of funding, as it may deem fit, to such higher education institution as are accredited in the highest grade.

9. Penalties

- Where a Higher Educational Institution fails to comply with the provisions of any of the preceding clauses, notwithstanding any other action that may be taken against the Higher Educational Institution by the appropriate Assessment and Accreditation Agency, the Commission may, after providing reasonable opportunity to such Higher Educational Institution to be heard, impose any of the following penalties or any combination of such penalties on Higher Educational Institution, namely:
 - Repeal of the notification in respect of such Higher Educational Institution from the list of Higher Educational Institutions recognized under Section 12 B of the UGC Act;
 - Recommending to the Central Government, where it is an institution deemed to be university, that the notification declaring such institution as an institution, as an institution deemed to be university under section 3 of the Act may be revoked;

- Proceed to take action against the Higher Educational, where such Higher Educational Institution is a private university under the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 as amended/modified from time to time.
- d) Withholding of all grants, where applicable, allocated to such Higher Educational Institution;
- e) Declaring such higher Educational Institution to be ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;
- Declaring for the purpose of general information of the public, that the Higher Educational Institution is not an accredited institution, and cautioning potential candidates seeking admission to such Higher Educational Institution of the same, through various forms of the media including the website of the Commission.

10. Dispute Redressal Mechanism

- Any dispute arising out of the implementation of these regulations will be discussed and resolved by the Commission (or University as the case may be) whose decision shall be final and binding.
- The Commission reserves the right to amend these regulations from time to time and same will be binding *mutatis mutandis* on the Higher Educational Institutions.

AKHILESH GUPTA Secy.

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19--जनवरी 25, 2013 (पौष 29, 1934)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19-JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

| सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सिम्मिलत हैं]
| Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
| Statutory Bodies |

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

सं. गेंबैपवि(नीप्र)252/सीजीएम(यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, सभी कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45अक, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शिक्तयों और इस संबंध में प्राप्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है।--

निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक (नाम) तथा उसे प्रयोग में लाना

- इन निदेशों को कोर निवेश कंपनी-विदेशी निवेश (रिज़र्व बैंक)
 निदेश, 2012 कहा जाएगा।
- ii. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

- यह निदेश विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित निदेशों के अतिरिक्त होगा।
- 2. सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति
 - यह निदेश सभी सीआईसी' (भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत अथवा पंजीकरण से छूट प्राप्त किसी भी स्थिति में) पर लागू होंगे, जो विदेशी निवेश की इच्छा रखती है।
 - ii विदेशी वित्तीय क्षेत्र में निवेश:

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) धारण तथा पंजीकृत सीआईसी पर लागू सभी विनियमों का पालन करना होगा। अतः सीआईसी जिन्हें बैंक के विनियमन संरचना से छूट प्राप्त है (छूट प्राप्त सीआईसी) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा वे सीआईसी-एनडी-एसआई की तरह विनियमित होंगी।

iii. गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश :

मंआईसी, 05 जनवरी 2011 के परिपत्र गैबॅपवि(नीप्र)कंपरि सं. 206/03.10.001/2010.11 के पैरा 2(बी) परिभाषित के अनुसार जिसका शीर्षक है कोर निवेश कंपनियों के लिए त्रिनियामक संरचना।

[ं]इस उद्देशय के लिए वित्तीय क्षेत्र अर्थात् वह क्षेत्र/सेवाएं जो वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है।

मि. सं. 14-42/2011 (सोपीपी-II)

यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26 उप—अनुच्छेद (1) की धारा (एफ) एवं (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम सृजित करता है, नामतः—

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

- 1.1 ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थानों का अधिदेशात्मक निर्धारण एवं प्रत्यायन) विनियम, 2012 कहलायेंगे।
- ये विनियम इन पर लागू होंगे:—
 (क) ऐसे समस्त विश्वविद्यालय जो एक केन्द्रीय/प्रादेशिक अथवा राज्यीय अधिनियम द्वारा स्थापित एवं/अथवा निगमित हैं।
 - (ख) तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त, समस्त संस्थान, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुच्छेद 3 की अधिसूचना के अनुसार मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।
 - (ग) तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त, स्वशासी महाविद्यालयों सहित समस्त महाविद्यालय।
 - 13 ये विनियम, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से लागू माने जायेंगे।

2. परिभाषाएँ

- (क) 'प्रत्यायन' विभिन्न व्याकरणिक विभिन्नताओं से युक्त, से तात्पर्य है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता नियन्त्रण की प्रक्रिया, जिससे प्रत्यायन अभिकरणों अथवा किसी उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन अथवा आकलन के परिमाणस्वरूप अथवा वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा संचालित किया गया है, अकादिमक गुणवत्ता के मानदण्डों के समरूप अभिलक्षित किया गया है तथा ,जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित उस अकादिमक गुणवत्ता का निर्देश चिन्हित हुआ है।
 - ख) 'अधिनियम' से तात्पर्य है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956।
 - (ग) 'आकलन' से तात्पर्य है किसी अकादिमक कार्यक्रण के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा अपनी भौतिक अवसंरचना एवं मानव संसाधन को दृष्टिगत करते हुए उस की क्षमताओं को सुनिश्चित अथवा सत्यापित करने की प्रक्रिया।

- (घ) मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अभिकरण से तात्पर्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अथवा कोई ऐसा अभिकरण जिसे प्रत्यायन करने के लिए संसद के किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित किया गया है।
- (ड) 'महाविद्यालय' से तात्पर्य है एक ऐसा महाविद्यालय, जिसे यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 12 (ए) (1) (बी) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
- (च) 'आयोग' से तात्पर्य है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है।
- (छ) 'उच्च शैक्षिक संस्थान' से तात्पर्य है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अधिनियम के अनुच्छेद 2 के उप—अनुच्छेद (एफ) में परिभाषित है तथा जिसमें एक ऐसा संस्थान सम्मिलित है जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुच्छेद 3 के अनुसार एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद (ई) में परिभाषित किया गया है जो किसी सी तकनीकी संस्थान अतिरिक्त हैं।

(ज) 'तकनीकी संस्थान' से तात्पर्य तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले तकनीकी एवं अन्य विश्वविद्यालयों को छोड़कर एक ऐसा संस्थान जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अनुच्छेद 2 की धारा (एच) के अन्तर्गत परिभाषित है।

3 उद्देश्य

मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया में निम्न उद्देश्य निहित होंगेः

- (क) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता एवं शिक्षा तथा तदनुसार अग्रवर्ती अकादिमक गुणवत्ता के विकास हेतु मान्यता प्रदान करना।
- (ख) उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों एवं अन्य पणधारियों द्वारा औपचारिक विकल्प प्रस्तुत करना।
- (ग) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा दी गई शिक्षा गुणवत्ता से संबद्ध निवेश उपलब्ध कराने के लिये छात्रों / अध्यापकों एवं अन्य निवेशकों को सहायता प्रदान करना।
- (घ) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा गुणवत्ता में सहायक बनने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अकादिमक मानकों संबंधी समानुरूप निर्देशचिह्नों का उपयोग करना।
- (ड.) उपयुक्त नियामक एवं /अथवा निधियन एजेन्सियों से उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा अतिरिक्त निधियन एवं अन्य प्रोत्साहन प्राप्त करना, यदि संस्थानों को पात्र माना गया हो।
- (च) उच्च शैक्षिक संस्थानों में सीमापार एवं राष्ट्रीय सीमा से परे, की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्ति एवं सहभागिताओं को सुविधाजनक बंग्नामा।
- (छ) उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा जैसा कि घोषित किया जायेगा, छात्रों द्वारा उनके पाठ्यक्रमों के सापेक्ष परिणामों की जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- (ज) आयोग द्वारा निर्धारित अथवा उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा घोषित किये गए उच्च.

शैक्षिक संस्थानों द्वारा जो भी मान्यताएँ है, यथास्थिति छात्रों की पात्रता को सुविधाजनक बनाया जायेगा।

(झ) घोषित किये जाने वाले उच्च शैक्षिक संस्थानों शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं शोध

तथा उपलब्ध कराना उनके मानकों को अनुयक्षित करना।

(ञ) उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा मंजूरीकृत अध्ययन अथवा परीक्षाओं के माध्यम के रूप में गुणवत्तायुक्त अध्ययन—अध्यापन सामग्री को समस्त भाषाओं में प्रभावी अध्ययन अध्यापन हेतु सुलभ' कराना।

(त) उच्च शैक्षिक संस्थान को उसके प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु प्रभावी शासीतन्त्र को

स्लभ बनाना।

4. अधिदेशात्मक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन

4.1 प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थान के सफलतापूर्वक दो सत्रों के पूरा कर लेने अथवा 6 वर्ष की अवधि पूरी करने पर, इसमें से जो भी पहले हो—अधिदेशात्मक रूप से, उस अभिकरण या आयोग द्वारा निर्धारित विनियम एवं प्रविधि के अनुसार अथवा यथारिथति उस प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित कराना होगा।

4.2 प्रत्येक उच्च शैक्षिक संस्थान, के अपने कार्यकाल के 6 वर्ष अथवा दो सत्र पूरे कर लेने पर, इनमें से जो भी पहले हो—इन विनियमों के लागू होने के 6 माह के भीतर प्रत्यायन

के लिए प्रत्यायन अभिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4.3 उच्च शैक्षिक संस्थान, जिन्होंने 6 वर्षों का कार्यकाल अथवा दो सत्र पूरे नहीं किये हैं, इसमें से जो भी पहले हो, इन विनियमों के लागू होने के 6 माह के पश्चात प्रत्यायन के लिए प्रत्यायन अभिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4 उच्च शैक्षिक संस्थान, जो इन नियमों के लागू होने के पश्चात, इन अकादिमिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने का इच्छुक है, उपरोक्त धारा 4.1 के अनुसार मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अभिकरण को मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. वैधता एवं पुन:--प्रत्यायन की अवधि

5.1 प्रत्यायन, 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

- 5.2 प्रत्येक प्रत्यायित शैक्षिक संस्थान के लिए संबद्ध प्रत्यायन अभिकरण के निर्धारित विनियमों एवं प्रणालियों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व, प्रत्यायन हेतु आवेदन करना अधिदेशात्मक है।
- 6. मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अभिकरण के कर्त्तव्य एवं दायित्व
- 6.1 अपने संचालन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना क्रां आचारसंहिता का कड़ाईपूर्वक निर्वहन करना।
- 6.2 उच्च शैक्षिक संस्थान में विद्यमान सभी पणधारी जिनमें छात्र, शिक्षक एवं गैर—अध्यापन कर्मचारी सम्मिलित हैं, उनको अकादिमक गुणवत्ता के विषय में अपने विचार प्रकट करने का एक अवसर प्रदान करना।

- 6.3 उच्च शैक्षिक संस्थान में विद्यमान सभी पणधारी, जिनमें छात्र, गैर-अध्यापन कर्मचारी भी सिमिलित हैं, उनकी आत्म-अध्ययन रिपोर्ट (S.S.R.) जिसे प्रत्यायन अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिये उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा तैयार किया गया हो तथा प्रत्यायन को अन्तिम रूप देते समय जिसे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन-अभिकरण द्वारा विचाराधीन रखा जायेगा, अपने सुझाव एवं प्राप्तियाँ प्रस्तुत करना।
- 6.4 अपनी वेबसाइट पर अन्तिम प्रत्यायन सहित ऐसे समस्त दस्तावेज, जिन पर ये प्रत्यायन आधारित हो, तथा जिसे उच्च शैक्षिक संस्थान को प्रस्तुत कर दिया गया हो, प्रकाशित करना।
- 6.5 प्रत्यायन प्रक्रिया को पूरा करना / प्रत्यायन के लिये किए गए उच्च शैक्षिक संस्थान से आवेदन प्राप्त होने के 6 माह के भीतर अन्तिम निर्णय लेना।
- 6.6 कोई भी व्यक्ति या निकाय जो ? किसी प्रत्यायन, के निवर्तन/संशोधन से असंतुष्ट है—वह उस आवेदन की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर निर्णय लेगा।

7. मूल्यांकन एवं प्रत्यायन--पूर्वापेक्षानुसार

- 7.1 उपरोक्त धारा 4.1 में परिभाषित किया गया कोई भी उच्च शैक्षिक संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके अन्तर्गत अन्य एकांश, चाहे उन्हें जिस नाम से भी जाना जाता हो, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रणाली निर्धारित समय में पूरी किये बगैर, आयोग की किसी भी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायतार्थ आवेदन अथवा उसे प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- 7.2 नवीन श्रेणी वाले संस्थानों के अतिरिक्त, किसी भी ऐसे संस्थान को जिसने आयोग की निर्धारित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उसे अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अनुसार मानित विश्वविद्यालयी संस्थान के रूप में घोषित करने हेतु आवेदन का पात्र नहीं माना जायेगा।
- 7.3 उपरोक्त धारा 4.1 में निर्दिष्ट है कि इन विनियमों के लागू होने के पश्चात् कोई भी विश्वविद्यालय, यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 (बी) के अन्तर्गत अधिसूचित अथवा मान्य नहीं होगा, यदि वह विधिवत प्रत्यायित नहीं हैं।
- 7.4 उपरोक्त धारा 4.1 में निर्दिष्ट इन विनियमों के लागू होने के पश्चात् कोई भी महाविद्यालय यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 (बी) के अन्तर्गत अधिसूचित अथवा मान्य नहीं होगा, यदि वह विधिवत प्रत्यायित नहीं हुआ है।

8. प्रोत्साहन

ऐसे उच्च शैक्षिक संस्थान, जो उच्चतम श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्यायित हैं, उनके लिए यथोचित रूप से आयोग अधिक उच्चस्तरीय निधियन आवंटित करेगा।

9. दण्ड/जुर्माने

9.1 एक ऐसी रिथिति जब कोई उच्च शैक्षिक संस्थान उपरोक्त किसी भी धारा के प्रावधानों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है, ऐसी किसी भी कार्रवाई के बावजूद जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान के विरुद्ध, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अधिकृत अभिकरण द्वारा की गई हो जिसके लिये उच्च शैक्षिक संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया हो, उस स्थिति में उसका पक्ष सुनने के वण्यात्, उस उच्च शैक्षिक संस्थान पर निम्न में से किसी एक अथवा समस्त युग्मित दण्डों को उस पर आरोपित किया जायेगा, नामतः—

- (क) यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 (बी) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची से उस अधिसूचना को निरस्त करना।
- (ख) किसी मानित विश्वविद्यालय के मामले में केन्द्र सरकार को ऐसी अनुशंसा प्रदान करना कि ऐसा संस्थान जिसे मानित विश्वविद्यालय के रूप में यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत घोषित किया गया है, उसका प्रतिसंहरण कर दिया जाये।
- (ग) यदि ऐसा उच्च शैक्षिक संस्थान जिसें यूजीसी (निजीं विश्वविद्यालय के स्थापन एवं अनुरक्षण) समय समय पर संशोधित विनियम 2003 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करना।
- (घ) ऐसे उच्च शैक्षिक संस्थान को दिए जाने वाले सभी अनुदानों पर यथावश्यक रोक लगा देना।
- (ड) आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के लिये उस उच्च शैक्षिक संस्थान को किसी भी सहायतार्थ अपात्र घोषित करना।
- (च) जनसाधारण की सूचना के उद्देश्य से यह घोषित करना कि ऐसा उच्च शैक्षिक संस्थान प्रत्यायित नहीं है तथा उस उच्च शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को मीडिया के विभिन्न प्रारूपों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी चेतावनी देना।
- 10. विवाद का निराकरण तन्त्र
- 10.1 इन विनियमों के क्रियान्वयन की स्थिति में यदि कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग द्वारा चर्चा एवं समाधान किया जायेगा (अथवा विश्वविद्यालय द्वारा—जैसी भी स्थिति होगी) जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।
- 10.2 आयोग के पास इन विनियमों को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा यथारिथिति आवश्यक नगण्य परिवर्तनों के साथ यह उच्च शैक्षिक संस्थानों पर बाध्यंकारी होगा।

अखिलेश गुप्त सचिव